न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 8017–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 02–5–2015 पारित द्वारा न्यायालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 5(1)/2014–15/1667.

....

मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड,
सेहतगंज, जिला–रायसेन (म0प्र0)

................अपीलार्थी

विरूद्ध

1– आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर
2– उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, उज्जैन/भोपाल
3– सहायक आबकारी आयुक्त, जिला–रायसेन
4– जिला आबकारी अधिकारी जिला देवास
5– जिला–आबकारी अधिकारी, सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड, सेहतगंज, जिला–रायसेन

....................प्रत्यर्थीगण

....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अपीलार्थी,
श्री बी0एन0 त्यागी, पैनल अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3 मार्च 2016 को पारित)

यह अपील, अपीलार्थी द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 के अंतर्गत बने अपील, रिवीजन तथा रिव्यु नियमों के पैरा (2) सी के अंतर्गत आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–5–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2 / प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जिला आबकारी अधिकारी, देवास ने उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता उज्जैन के पत्र क्रमांक आब0 / ठेका / 2013 / 1121 दिनांक 5–7–2013, आब0 / ठेका / 2013 / 1344 दिनांक 30–8–2013, आब0 / ठेका / 2013 / 1525 दिनांक 30–9–2013, आब0 / ठेका / 2013 / 1990 दिनांक 23–11–2013, आब0 / ठेका / 2014 / 12 दिनांक 6–1–2014, आब0 / ठेका / 2013 / 468 दिनांक 24–3–2014 एवं आब0 / ठेका / 2014 / 638 दिनांक 14–4–2014 से अवगत कराया कि मध्यप्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 4(4) के अनुसार मद्यभाण्डार में विगत माह के 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतलबंद मदिरा का संग्रह रखना अनिवार्य है। मद्यभाण्डागार देवास में माह अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2013, जनवरी 2014 से मार्च 2014 तक भरी हुई बोतलबंद मदिरा का संग्रह निर्धारित न्यूनतम स्कंध के अनुसार नहीं रखा गया, जिसके कारण मदिरा प्रदाय हेतु चालान लंबित रहे। मद्यभाण्डागार सोनकच्छ में माह अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2013, जनवरी 2014 से मार्च 2014 तक भरी हुई बोतलबंद मदिरा का संग्रह निर्धारित न्यूनतम स्कंध के अनुसार नहीं रखा गया, जिसके कारण मदिरा प्रदाय हेतु चालान लंबित रहे। मद्यभाण्डागार कन्नौद में माह अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2013, जनवरी 2014 से मार्च 2014 तक भरी हुई बोतलबंद मदिरा का संग्रह निर्धारित न्यूनतम स्कंध के अनुसार नहीं रखा गया, जिसके कारण मदिरा प्रदाय हेतु चालान लंबित रहे। उपरोक्त त्रुटियों एवं अनियमितताओं के लिए प्रदाय संविदाकार/अपीलार्थी मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रा0लि0 सेहतगंज, जिला–रायसेन को उक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक 5(1) / 2013–14 / 1720 दिनांक 26–5–2014 के जरिये कारण बताओ नोटिस दिया गया। उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर इकाई द्वारा दिनांक 30–5–2014 को प्रस्तुत किया। आबकारी आयुक्त ग्वालियर द्वारा दिनांक 02–5–2015 को सोम डिस्टलरीज लिमिटेड सेहतगंज जिला रायसेन को मध्यप्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 4(4) का उल्लंघन पाते हुये

नियम 12(1) के अन्तर्गत अर्थदण्ड रुपये 15,000/–(पंद्रह हजार रुपये) शास्ति आरोपित किया तथा इसके साथ साथ उक्त उल्लंघन के लिये प्रदाय, संविदाकार को देवास जिले के मद्यभण्डारगार देवास, सोनकच्छ एवं कन्नौद पर माह अप्रैल 2013 से मार्च 2014 कुल 184 दिवस मदिरा प्रदाय हेतु चालान लंबित रहने तथा बोतल बंद मंदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखने से रुपये 500/– प्रतिदिन के मान से 92,000/– तथा उक्त अवधि में इन भाण्डागारों में कुल 93 दिवस केवल बोतल बंद मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखे जाने से रूपये 250/– प्रतिदिन के मान से रूपये 23,250/– इस तरह कुल रुपये 130,250/– (एक लाख तीस हजार दो सौ पचास) की शास्ति आरोपित करने का आदेश दिया। आबकारी आयुक्त, ग्वालियर के उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

4/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा अपने कारण बताओ सूचना–पत्र के जवाब में जो आधार बताये गये थे उन पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत रूप से कोई विचार नहीं किया गया। आसवक को देशी मदिरा प्रदाय की अनुमति वर्ष 2013–14 में कार्यालय पत्र क्रमांक 5(1)/2012–13/381 दिनांक 18–2–2013 द्वारा दी गई थी। जिला आबकारी अधिकारी देवास ने पत्र दिनांक 26–5–2014 के द्वारा अवगत कराया कि मध्यप्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 4(4) के अनुसार मद्यभाण्डार में विगत माह के 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतलबंद मदिरा का संग्रह रखना अनिवार्य है। मद्यभाण्डागार देवास, सोनकच्छ तथा कन्नौद में माह अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक भरी हुई बोतलबंद मदिरा का संग्रह निर्धारित न्यूनतम स्कंध के अनुसार नहीं रखा गया है। अपीलार्थी द्वारा जबाव में स्पष्ट बताया था कि आसवक द्वारा जिला देवास, सोनकच्छ तथा कन्नौद की मद्यभाण्डागार में माह अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक निरन्तर आवश्कता अनुरूप प्रदाय दिया गया है जिसके

परिणामस्वरूप प्रदाय व्यवस्था असफल नहीं रही थी। बल्कि वितरकों द्वारा निर्धारित मासिक स्कन्ध की जानकारी पत्र दिनांक 14–7–13 के द्वारा प्रेषित की गई थी। जिसमें फुटकर ठेकेदारों द्वारा मदिरा का प्रदाय कम लिये जाने के कारण मद्यभाण्डागारों में आसवक की गाडिया दो से तीन तक खाली नहीं हो पाने के कारण उल्लेखित किया गया था। साथ ही मौखिक रूप से जिला आबकारी अधिकारी देवास को भी उक्त स्थिति की जानकारी दी गई थी। मद्यभाण्डागारों में सील बंद मदिरा का स्टाक अधिक मात्रा में हो गया जिसके संबंध में आसवक द्वारा उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया था एवं उचित पत्राचार/दिशा निर्देश देने की मांग की गयी थी। यह भी तर्क दिया कि किसी भी फुटकर ठेकेदार द्वारा मदिरा दुकाने बंद रहने के कारण क्षतिपूर्ती की मांग का कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही फुटकर ठेकेदारों की मांग के अनुसार प्रदाय देने में कोई भी विलम्ब हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी कम्पनी पर चालान लम्बित रहने का जो आरोप लगाया गया है वह वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है। अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी मदिरा प्रदाय की अनुमति की किसी भी शर्त का कोई उल्लंघन नहीं किया गया। बल्कि अनुमति की शर्तों का विधिवत पालन किया गया है। राज्य सरकार को किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं हुयी है। फिर भी अपीलार्थी पर शास्ति अधिरोपित करने में त्रुटि की है। तर्क में यह भी कहा कि राज्य शासन को क्या हानि हुई इसे सिद्ध करने का प्रमाण भार राज्य शासन पर था जो कि उनके द्वारा सिद्ध नहीं किया गया। इसलिए प्रमाण भार के अभाव में शासन को हुई हानि की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया वह अपास्त किये जाने योग्य है। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त भी प्रस्तुत किये गये जिनका उल्लेख अपीलार्थी द्वारा अपील मेमो में किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाये।

5/ प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया मध्यप्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 4 (4) के अनुसार मद्यभाण्डागार में विगत माह के 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतलबंद मदिरा का संग्रह रखना अनिवार्य है। मद्यभाण्डागार देवास, सोनकच्छ तथा कन्नौद में माह अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक भरी हुई बोतलबंद मदिरा का संग्रह नहीं रखा गया। उपरोक्त त्रुटियों/अनियमितताओं के लिये अपीलार्थी मैसर्स सोम डिस्टलरी प्रा.लि. सेहतगंज जिला रायसेन को रिस्पोडेंट क. 1 के कार्यालय के पत्र कमांक 5(1)/2013–14/1720 दिनांक 26–5–2014 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का जबाव प्रस्तुत होने के बाद रिस्पोडेंट कमांक 1 के जबाव से संतुष्ट नहीं हुए। क्योंकि यद्यपि किसी भी फुटकर ठेकेदार से मदिरा दुकाने बंद रहने के कारण क्षतिपूर्ति की मांग का कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु मद्यभाण्डागार देवास, सोनकच्छ तथा कन्नौद पर फुटकर ठेकेदारों की मांग अनुसार प्रदाय देने में विलंब हुआ है। यह भी कहा कि मध्यप्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 4 (4) के अनुसार प्रदाय संविदाकार मद्यभाण्डागार में बोतलबंद मदिरा का 5 दिवस का निर्धारित न्यूनतम संग्रह रखने हेतु बाध्य है। इस तरह मैसर्स डिस्टलरी प्राईवेट लिमिटेड सेहतगंज जिला रायसेन (अपीलांट) द्वारा मध्यप्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 4(4) का उल्लंघन किया है। जो नियम 12 (1) के अंतर्गत दण्डनीय है। अतः आबकारी आयुक्त द्वारा पूर्ण विचारोपरांत उपरोक्त अनियमितता के लिये रूपये अर्थदण्ड रुपये 15,000/–(पंद्रह हजार रुपये) शास्ति आरोपित किया तथा इसके साथ साथ उक्त उल्लंघन के लिये प्रदाय संविदाकार को देवास जिले के मद्यभण्डारगार देवास, सोनकच्छ एवं कन्नौद पर माह अप्रैल 2013 से मार्च 2014 कुल 184 दिवस मदिरा प्रदाय हेतु चालान लंबित रहने तथा बोतल बंद मंदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखने से रुपये 500/– प्रतिदिन के मान से 92,000/– तथा उक्त

अवधि में इन भाण्डागारों में कुल 93 दिवस केवल बोतल बंद मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखे जाने से रूप्ये 250/– प्रतिदिन के मान से रूपये 23,250/– इस तरह कुल रुपये 130,250/– (एक लाख तीस हजार दो सौ पचास) की शास्ति आरोपित की गयी है। जो विधिअनुसार उचित है। प्रतिप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा अपील निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

6/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। आबकारी आयुक्त के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी इकाई द्वारा मद्यभाण्डागार जिला देवास, सोनकच्छ तथा कन्नौद में माह अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक अवधि में 184 दिन मदिरा प्रदाय हेतु चालान लंबित रहने तथा बोतलबंद मदिरा का संग्रह निर्धारित न्यूनतम स्कंध के अनुसार नहीं रखे गये। यह स्पष्ट है कि जहां अपीलार्थी इकाई द्वारा टेण्डर एवं लायसेंस की शर्तों का उल्लघंन किया गया है वहीं म0प्र0 देशी स्प्रिट नियम, 1995 के नियम 4(4) का भी उल्लंघन किया है क्योंकि नियम 4(4) में न्यूनतम संग्रह रखे जाने का प्रावधान है। जहां नियम 4(4) का उल्लंघन है वहां नियम 12(1) के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित करने का प्रावधान है। म0प्र0 देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 12(1) के अनुसार "इन नियमों में से किसी नियम या आबकारी अधिनियम 1915 के किसी उपबन्ध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आबकारी आयुक्त के किसी आदेश के भंग या उल्लंघन के लिए 50,000/– रूपये (पचास हजार रूपये) से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा और ऐसे उल्लंघन के लगातार चालू रहने की दशा में ऐसी और शास्ति जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा भंग या उल्लंघन चालू रहता है, 1000/– रूपये (एक हजार रूपये) से अनधिक की अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।" अतः आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी इकाई पर शास्ति अधिरोपित करने में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की है। इस संबंध में अपीलार्थी इकाई द्वारा तर्कों में यह दर्शाने का प्रयास

किया गया है कि अपीलार्थी की ओर से न्यूनतम संग्रह रखने में शासन को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है इसलिये उस पर शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती है। इस संबंध में जहां अधिनियम अथवा नियमों में स्पष्ट आज्ञापक प्रावधान है और उन प्रावधानों का उल्लंघन अपीलार्थी इकाई द्वारा किया गया है, तब उस पर शास्ति अधिरोपित की जाना वैधानिक दृष्टि से उचित कार्यवाही है। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांत इस प्रकरण के निराकरण के लिए प्रासंगिक नहीं होने से उन पर विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार का निष्कर्ष अध्यक्ष, राजस्व मण्डल ने प्रकरण कमांक अपील 187—दो/2014 आदेश दिनांक 8—9—15, अपील 188—दो/2014 आदेश दिनांक 8—9—15 एवं अपील 189—दो/2014 आदेश दिनांक 8—9—2015 में अवधारित किया गया है। दर्शित परिस्थितियों में आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील निरस्त की जाती है तथा आबकारी आयुक्त का आदेश दिनांक 02—5—2015 स्थिर रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर